न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल

परिवाद वाद संख्या– 100सी/2025

25/05/2026

परिवादिनी कंचन कुमारी अनुपस्थित है। बार–बार पुकार पर न तो परिवादिनी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई और न ही उनके तरफ से कोई अधिवक्ता ही उपस्थित हुए।

अभिलेख से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत परिवाद दिनांक 16/12/25 को दायर किया गया है और तब से अभिलेख शपथ पर बयान हेतु निश्चित है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि विगत कई तिथियों से परिवादिनी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी है और न ही परिवादिनी स्वयं अपना शपथ पर बयान हेतु न्यायालय में उपस्थित हुई है तथा लगातार अनुपस्थित चली आ रही है। जिससे स्पष्ट होता है कि वाद में उनकी कोई अभिरूची नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद में प्रस्तावित अभियुक्तों के विरूद्ध ऐसी कोई भी सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे उनके विरूद्ध परिवाद पत्र में वर्णित धाराओं के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत हो।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तुत परिवाद वाद खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(दिलीप कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0)
सुपौल